न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2017

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00356

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
शंकरदास पुत्र केवलदास जाति वैष्णव निवासी जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली 2. चुन्नीलाल पुत्र खीमाजी जाति चौधरी निवासी जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 6.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अंन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा मिसल संख्या 02/2004–05 सकंल्प संख्या 06(9) दिनांक 08.12.2004 द्वारा अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र खीमाजी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 4749 दिनांक 08.12.2004 को निरस्त कराने बाबत पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी कब्जा नहीं है ना ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात पेश किये। साथ ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी का रास्ते की भूमि पर कब्जा बताकर पट्टा जारी कर दिया जबकि रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। जैर निगरानी भूमि रेगुलाईज्ड करने की तारीफ में आती है इसलिये इसे 200/– रूप्ये की फीस पर जारी नहीं किया जा सकता बल्कि इसे मार्केट वेल्यू पर कब्जासुदा भुखण्ड का बेचाण किया जा सकता है या निलामी के जरिये बेचा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा मिसल पर आवेदन शुल्क व नक्शा शुल्क प्राप्त नहीं किया है और ना ही पंचो द्वारा मौका देखा गया है तथा मौके देखे जाने की तारीख अंकित नहीं है। आवेदन पट्टा हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं है एवं पट्टे के नाप चौक में अंतर है। पट्टा 70 बाई 42 फुट का दिया गया है जबकि मौके पर उत्तर में 45 फुट, दक्षिण में 42 फुट, पश्चित में 54 फुट व पूर्व में 58.6 फुट भूमि स्थित है। इसलिये उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति ईश्तहार सार्वजनिक स्थान पर जारी नहीं किया गया है तथा दो गवाहान उपस्थित नहीं है ना ही उनका विवरण दिया गया है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

गवाहान के बयान विधि माफिक नहीं लिये गये है। मात्र तीन बैठक में पट्टा जारी कर दिया गया है। मौका निरिक्षण रिपोर्ट पर सरपंच के प्रमाणित हस्ताक्षर का अभाव है, नक्शा सचिव पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी के मकान के आगे स्थित 9 फुट कब्जे की भूमि में ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 को गलत तरीके से पट्टा जारी कर दिया। जिसकी आड में अप्रार्थी ने जानबुझकर उक्त भूमि के पूर्व दिशा की ओर दरवाजा खोल दिया जबकि अप्रार्थी के लिये दक्षिण दिशा की ओर 3 फुट चौडी गली उपलब्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 2 पूर्व दिशा में दरवाजा खोलकर प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी किया है जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के अधिववक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम जीवन्दकला का निवासी है एवं जैर निगरानी पट्टे के लिए अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने कब्जाशुदा भुखण्ड का पट्टा बनाने हेतु पंचायत नियमों के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके पडौस पूर्व में रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में जगा का मकान, उत्तर में नदी एवं दक्षिण में मकना/लुम्बाजी का मकान आया हुआ। जिसका नाप 42 बाई 70 फीट है। उक्त भूखण्ड पर केवल अप्रार्थी चुन्नीलाल का ही कब्जा है जिसका पूर्व में कोई पट्टा बना हुआ नही है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 02/2004–05 कायम करते हुए पंचायत नियम 146 के तहत भूखण्ड का नक्शा बनाने हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी कायम की तथा उसके पश्चात आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो मौतबिरानों के रूबरू सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया गया। इसके एक माह गुजरने के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी किया है। अप्रार्थी का रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। यदि पट्टे के नाप चौक में अन्तर होने से अप्रार्थी को कम जमीन प्राप्त होती है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी द्वारा मकान के पूर्व दिशा की ओर दरवाजा खोलने के कारण प्रार्थी शंकरदास ने जैर निगरानी पेश की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावें एवं जैर निगरानी विक्रय विलेख कायम रखने के आदेश प्रदान करावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा मिसल संख्या 02/2004–05 सकंल्प संख्या 06(9) दिनांक 08.12.2004 द्वारा अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र खीमाजी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 4749 दिनांक 08.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.05.2004 को मिसल कायम की जाकर तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण एवं नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में ओदशिका दिनांक 05.06.2004 के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं प्रार्थी की उपस्थिति में नक्शा बनाया गया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया, जो दो मौतबिरनों के रूबरू चस्पा किया गया। मिसल के संलग्न बयान फार्म अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थी की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

कब्जा सुदा भूमि है जिस पर अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य का हक नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 08.12.2004 संकल्प संख्या 6(9) के अनुसार जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में नियमानुसार राशि जरिये रसीद संख्या 98 दिनांक 08.12.2004 द्वारा जमा करवाये गये है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है। ग्राम पचांयत द्वारा पट्टा जारी करने में पूर्णतया विधि–सम्मत एवं न्यायोचित कार्यवाही की गई है।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर दिया गया है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। साथ ही ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के तहत जारी आपत्ति ईश्तहार में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है तथा ना ही पट्टे में कही पर भी रास्ते की भूमि का अंकन है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की अक्षरशः पालना की गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा मिसल संख्या 02/2004–05 संकल्प संख्या 06(9) की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4749 दिनांक 08.12.2004 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली